मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2005 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 15 मार्च, 2005 (फाल्गुन 24, 1926)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन उल्लेख

श्री बंशीधर पाराशर, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा के निधन का उल्लेख.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री -

(क) मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा 12 की उपधारा (6) की अपेक्षानुसार :-

(i) मध्यप्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का बाईसवां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2003-2004),

(ii) लोक आयुक्त संगठन का बाईसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004, व्याख्यात्मक ज्ञापन; तथा

(iii) मध्यप्रदेश लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त के बाईसवां वार्षिक प्रतिवेदन के अंग्रेजी अंश का हिन्दी रूपान्तर,

(ख) जैव विविधता अधिनियम, 2002 (क्रमांक 18 सन् 2003) की धारा 65 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-2-2003-सतावन, दिनांक 17 दिसम्बर, 2004,

पटल पर रखेंगे.

(2) श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, ग्रामोद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड (म.प्र.शासन का उपक्रम) भोपाल का बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा दिनांक 31 मार्च, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए पटल पर रखेंगे.

(3) श्री उमाशंकर गुप्ता, राज्यमंत्री परिवहन, रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन एक्ट, 1950 की धारा-35 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004 पटल पर रखेंगे.

4. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

5. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री अजय विश्नोई, ध्रुव प्रताप सिंह, सदस्य, जबलपुर जिले में रोजगार गारण्टी योजनांतर्गत अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों को बांटी गई अधिकांश बकरियां मरने से उत्पन्न स्थिति की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, मुरैना जिले की सहकारी शक्कर कारखाना कैलारस द्वारा गन्ना उत्पादक किसानों को राशि का भुगतान न किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) पं. हरिचरण तिवारी, सदस्य, राजगढ़ जिले में हैण्डपंप के पानी में फ्लोराइड की अधिकता के कारण पेयजल संकट होने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री बृजेन्द्र प्रताप, सदस्य, पन्ना जिले के पवई क्षेत्र में कृषि उपज मंडी हेतु अधिसूचना जारी न किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

6. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री सत्यदेव कटारे, सभापति, लोक लेखा समिति का 59 वां से 99 वे वां तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री ध्यानेन्द्र सिंह, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम्, षष्ठम्, सप्तम्, अष्टम् एवं नवम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) श्रीमती सुधा जैन, सभापति, विशेषाधिकार समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी.

7. मुख्यमंत्री का वक्तव्य

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, दिनांक 16 फरवरी, 2005 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 48 (क्रमांक 1508) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित समय

(1) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, राज्यमंत्री खनिज साधन, मध्यप्रदेश ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास विधेयक, 2005 (क्रमांक 7 सन् 2005) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

30 मि. (2) श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 1 सन् 2005) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. (3) चौधरी चन्द्रभान सिंह, वन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2005 (क्रमांक 4 सन् 2005) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घन्टा (4) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, राज्यमंत्री खनिज साधन, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास विधेयक, 2005 (क्रमांक 7 सन् 2005) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

9. विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार एवं स्वीकृति

श्रीमती सुधा जैन, सभापति, विशेषाधिकार समिति निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगी -

"यह सदन आज दिनांक 15 मार्च, 2005 को प्रस्तुत विशेषाधिकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन पर विचार कर इसे स्वीकार करे.".

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक 14 मार्च, 2005